58

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2013–14 निगरानी R-2084-I/14

गोरधन पिता श्री दयाराम कुल्मी,
निवासी–ग्राम इकलेरा, तहसील बागली,
जिला देवास ——————प्रार्थी

विरूद्ध

मनोहर पिता श्री मांगीलाल कुल्मी,
आयु–30 वर्ष निवासी–ग्राम इकलेरा, तहसील
बागली, जिला देवास —————प्रतिप्रार्थी

4-7-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के विरूद्ध विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, बागली जिल देवास के प्रकरण क्रमांक 7/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 31/05/2014 से दुखित होकर ।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

01. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हरि पिता बाबू कुल्मी निवासी–इकलेरा तहसील बागली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बागली जिला देवास में धारा 178 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत् एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जो प्रकरण क्रमांक 7/अ–27/1989–90 पर पंजीबद्ध होकर उक्त प्रकरण का निराकरण दिनांक 04/06/1990 को किया गया था ।

02. यह कि, हरि पिता बापू की मृत्यु करीब 6–7 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं तथा न्यायालय द्वारा किये गये आदेश के अनुसार प्रार्थी को प्राप्त कृषि भूमि सर्वे नंबर 279 रकबा 2.473 हे., सर्वे नं. 281/1 रकबा 0.283 हे., सर्वे नं. 281/2 रकबा 0.421 कुल सर्वे नंबर 3 कुल रकबा 3.177 हे. पर जब से ही लगातार कृषि करता चला आ रहा है एवम् [illegible] में उक्त कृषि भूमि बंटवारे के समय भी 12 वर्ष पूर्व से प्रार्थी के ही कब्जे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

58

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2084-एक/14 **जिला** - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	